HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1176/2024

Sagarmal S/o Radhakishan, Aged About 24 Years, R/o Panwad, Tehsil Deoli, District Tonk (Raj.).

----Claimant/Appellant

Versus

1. Kailash S/o Bhanwar Lal, R/o Mohammadganj, Tehsil And District Tonk (Raj.). Driver Of Tractor No. RJ26-RB-6925.
2. Zakir Hussain S/o Nazir Khan, R/o Lamba Chhapariya, Tehsil And District Tonk (Raj.). Owner Of Tractor No. RJ26-RB-6925.
3. The New India Insurance Company Limited, Branch Office 7, Civil Lines, Sawaimadhopur, District Sawaimadhopur (Raj.). Insurance Company Of Tractor No. RJ26-RB-6925.

----Non-Claimants/Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Amit Sharma, Adv. for Mr. Sandeep Jain, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Vinod Kumar Sharma, Adv. Mr. Arvind Kumar Arora, Adv. Mr. Lokesh Parihar, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

05/05/2026

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत न्यायालय **न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, टोंक** (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **क्लेम याचिका संख्या–293/2021, सागरमल बनाम कैलाश व अन्य** में पारित निर्णय **दिनांक 01.12.2023** (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थी द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप **कुल 82,59,000/– रुपये** क्लेम प्राप्त करने

हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका में याची को **कुल 9,07,588/– रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज **07 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की मासिक आय 7,560/– रुपये निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि वक्त घटना अपीलार्थी ड्राईवर का कार्य कर 25,000/– रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करता था। दुर्घटना में अपीलार्थी के बाएं कंधे व छाती में अस्भिभंग व कई अन्य गंभीर चोटें कारित हुई है, जिनके सामूहिक प्रभाव से उसके शरीर पर कुल 28 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा भविष्य में होने वाली सुख–सुविधा की कमी के मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में व अन्य मदों में भी अत्यधिक कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण के निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थी की ओर से संस्थित की गयी अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी।

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप उसके शरीर पर कुल 28 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श–1 के अवलोकन से स्पष्ट है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa**

Lamzane & Anr. reported in **(2018) 9 Supreme Court Cases 450,** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :–

> "12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries."
>
> "13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd. explained "just compensation" in the following words:"
>
> "15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 27.10.2020 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी को 21 वर्ष की आयु का होना बताते हुए ड्राइवर का कार्य कर 25,000/– रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है। किंतु अपीलार्थी द्वारा अपनी आय का कोई ठोस प्रमाण विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर अपीलार्थी को अकुशल श्रमिक होना मानते हुए उसकी मासिक

आय की 252 x 30 = 7,560/– रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गयी है। वक्त घटना अपीलार्थी को ड्राइवर का कार्य करना बताया गया है। अपीलार्थी द्वारा स्वयं के कार्य की प्रकृति के संबंध में स्वयं का ड्राइविंग लाइसेंस प्रदर्श–66 प्रस्तुत किया है। इन परिस्थितियों में यह न्यायालय, अपीलार्थी के कार्य की प्रकृति व घटना की तिथि 27.10.2020 को दृष्टिगत रखते हुए, वक्त घटना अपीलार्थी को कुशल श्रमिक होना मानते हुए तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर उसकी दैनिक आय 276/– रुपये, तद्नुसार **मासिक आय 276 x 30 = 8,280/– रुपये** निर्धारित किया जाना उचित समझती है। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की निर्धारित मासिक आय पर भविष्य में होने वाली आय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। वक्त घटना अपीलार्थी को 21 वर्ष की आयु का स्वनियोजित व्यवसायी होना बताया गया है। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित मासिक आय 8,280/– रुपये पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में **40 प्रतिशत** (3,312/– रुपये) की बढ़ोतरी किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार अपीलार्थी की कुल शुद्ध मासिक आय 11,592/– रुपये होती है जो क्षतिपूर्ति निर्धारण का आधार रहेगी।

8. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थी के बाएं कंधे व छाती में अस्भिभंग व कई अन्य गंभीर चोटें कारित हुई हैं, जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी को सांस लेने में कठिनाई व ऊपर के लिम्ब में सुन्नपन हो गया है। अपीलार्थी के कारित चोटों के सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थी के शरीर में कुल 28 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थाई निर्योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदर्श–1 के अवलोकन से स्पष्ट है। विद्वान अधिकरण ने अपीलार्थी की 28 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता होने व कार्य करने में क्षमता की हानि के आधार पर आय की क्षति 35 प्रतिशत मानी है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। तद्नुसार अपीलार्थी की मासिक आय 11,592/– रुपये का 35 प्रतिशत **4,057/– रुपये** होता है जो अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली

आय की मासिक क्षति है। वक्त घटना अपीलार्थी को 21 वर्ष आयु का माना गया है, जिसका खण्डन नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए **18 का गुणक** लगाया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति **4,057 x 12 x 18 = 8,76,312/– रुपये** होती है जो अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

9. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 60,000/– रुपये की राशि दिलवाई गई है। उक्त राशि को हम भविष्य में होने वाली सुख–सुविधा में कमी की मद में तथा शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में आंका जाना उचित समझते हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को परिवहन व्यय की मद में 60,000/– रूपये व पौष्टिक आहार की मद में 60,000/– रूपये तथा मेडिकल बिलों की मद में 1,56,052/– रुपये की राशि दिलवाई गई है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

11. दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी 3 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी को 3 दिन अस्पताल में भर्ती रहने की मद में 600/– रुपये प्रतिदिन की दर से कुल 1,800/– रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा ईलाजरत अवधि के दौरान हुई आय की हानि की मद में अपीलार्थी को कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। हस्तगत मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी के बाएं कंधे व छाती में अस्भिभंग व कई अन्य गंभीर चोटें कारित हुई हैं, जिसके फलस्वरूप अपीलार्थी को सांस लेने में कठिनाई व ऊपर के लिम्ब में सुन्नपन हो गया है। इस प्रकार अपीलार्थी करीब 3 माह तक कार्य करने में असमर्थ रहा होगा। ऐसी स्थिति में हम 3 माह की आय की

हानि के मद में 8,280 X 3 = 24,840/– रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

13. उक्तानुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी हैं :–

क्रम सं.	**शीर्ष/मद**	**इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि**
1.	भविष्य में होने वाली आय की क्षति के मद में	8,76,312/– रुपये
2.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भविष्य में होने वाली सुख–सुविधा में कमी के मद में	60,000/– रुपये
3.	परिवहन व्यय की मद में	60,000/– रूपये
4.	पौष्टिक आहार की मद में	60,000/– रूपये
5.	मेडिकल बिलों की मद में	1,56,052/– रुपये
6.	3 दिन अस्पताल में भर्ती रहने की मद में	1,800/– रूपये
7.	3 माह की आय की हानि की मद में	24,840/– रुपये
8.	**इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि**	**12,39,004/– रुपये**
9.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	9,07,588/– रुपये
10	**बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर**	**3,31,416/– रुपये**

14. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थी/क्लेमेंट को **9,07,588/– रूपये** दिलवाये जाने का निर्णय पारित किया गया है, के स्थान पर **12,39,004/– रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता हैं।

15. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थी, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

16. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

17. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

KESHAV VERMA /89-S